न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
44/2018	04.04.2018	10.7.2022

उनवान

1. नारायणसिंह पुत्र श्री मन्नु सिंह जाति राजपूत निवासी घीलोठ तह0 नीमराना।

—:वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।

—: प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिती:—1 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि सं0 2020 से पूर्व आराजी ख0न0 934/0—14 वाके ग्राम घीलोठ था जिसका सं0 2020 के बन्दोबस्त में ख0न0 1074/0—14 एंव ख0न0 1074मिन कायम किए गए जिसके हाल सं0 2042 के बन्दोबस्त मे आराजी ख0न0 1619 रकबा 01 एयर ख0न0 1619/2324/0.13 वाके ग्राम घीलाठ कायम किये गये। रिछपालसिंह के कोई औलाद नहीं थी जिसके हिस्से पर बहसियत खातेदार लगभग 40 वर्ष से वादी आराजी को काश्त करता चला आ रहा है विवादित आराजी मे वादी की 13 बिस्वा मे गूण थी तथा 01 बिस्वा में कुआं बना हुआ था जिसे वादी ने संपूर्ण भूमि को समतल बना कर के रिहायसी गूवाडा बना लिया है जिसमें ईधन डालते है,उपले छापते है तथ हर प्रकार से काम मे लेता आ रहा है ।

2. सं0 2020 के बन्दोबस्त के अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार के कानून के खिलाफ गैर मुमकिन रास्ता कायम कर दिया इसी प्रकार 2042 के बन्दोबस्त ते गैरमुमकिन रास्ता कायम कर दिया जो खिलाफ मौका एवं खिलाफ कब्जा दर्ज किया गया है जब की मौके पर कोई रास्ता कभी भी नहीं रहा है जिस कारण दुरूस्ति इन्द्राज का दावा करना लाजिम आया है ।

3. अंत मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:—
(क) घोषित किया जावे की विवादित आराजी सं0 2020 से पूर्व आराजी ख0न0 934/0—14 बिस्वा वाके ग्राम घीलोठ था जिसका सं0 2020 के बन्दोबस्त मे आ0ख0न0 1074/0—14 व ख0न0 1074 मिन वाके ग्राम घीलाठ कायम किए गए जिसके हाल सं0 2042 के बन्दोबस्त मे आ.ख.न. 1619 रकबा 01 एयर व 1619/2324/0.13 ग्राम घीलोठ वादी के खातेदारी की आराजी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में जो गैर0मु0

धिकारी
अलवर)

रास्ता दर्ज किया गया है उसे कलमजन किया जा कर वादी का नाम बहरियत खातेदार दर्ज किया जावे।
(ख) विवादित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में जो रकबा 14 एयर दर्ज किया गया है उसके स्थान पर 18 एयर दर्ज किया जावे ।

(ग) इन का अल्टरनेटिव वादी लगभग 40 वर्षों से खातेदार काश्तकार की हैसियत से आराजी विवादित आराजी पर कब्जा होने के कारण वह स्वयतः खातेदार हो गया है।

(घ) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ङ) दीगर दादरसी जो उचित हो प्रदान कि जावें।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादी की ओर पैरोकार सरकार ने वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया की भू–प्रबन्ध विभाग ने विधि नियमों एवं प्रावधानो के तहत ही भू–प्रबन्ध का कार्य किया है वाद मे वर्णित भूमि गै0मू0 रास्ता कि भूमि है जो अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित होने से किसी भी निजी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार सृजित नहीं हो सकते है अतः जवाब दावा पेशकर निवेदन है कि वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

5. जवाब प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत कि गई वादी ने साक्ष्य मे स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0 01, मोहनलाल पुत्र मातादीन शपथ पत्र पी0डब्लू0 02 के शपथ पत्र पेश किए है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल नोटिस प्रदर्श 01,03, नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2042 प्रदर्श 05, नकल जमाबन्दी सं0 2042से 2061 प्रदर्श 06, नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2020 प्रदर्श 07, नकल जमाबन्दी सं0 2016 प्रदर्श 08 पेश किये है।

6. वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी ने बहस में दावे के तथ्यों को दोहराते हुए बताया की सं0 2020 से पूर्व विवादित आराजी की किस्म गै0मु0चाह(कुआं) दर्ज थी सं0 2020 के बाद गलत रूप से भूमि कि किस्म गै0मु0चाह के स्थान पर गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया हाल रिकॉर्ड को पूर्व के रिकॉर्डानुसार दुरूस्त किया जा कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

7. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है
तनकी नं0 01:– आया विवादित आराजी संवत 2020 के पूर्व के ख.नं. 934 रकबा 14 बिस्वा वाकें ग्राम धीलोठ हमारे बुजुर्ग रिछपाल के नाम खातेदारी थी जिसका संवत 2020 मे नया ख.नं. 1074 रकबा 14 बिस्वा कायम किया गया था। इसके बाद संवत 2042 मे ख.नं. 1074 के नये नं0 1619 रकबा 01 एयर व 1619/2324 रकबा 13 एयर कायम किये गये जो कि मैट्रिक प्रणाली के हिस्बा से 14 बिस्वा का 18 एयर बनता है लेकिन 14 एयर रकबा कायम किया गया और इन दोनों ख.नं. को गै0मु0रास्ता दर्ज कर दिया जो कि खिलाफ मौका खिलाफ कानून दर्ज किया गया है जो कि वादी को हाल ख.नं. 1619 रकबा 01एयर व ख.नं. 1619/2324 रकबा 13 एयर वाके ग्राम धीलोठ को गै0मु0 रास्ता को कलमजन किया जा कर वादी की खातेदारी मे दर्ज किये जाने के अधिकारी है व 14 एयर के स्थान पर 18 एयर रकबा दर्ज कराने का कानूनी रूप से अधिकार है इसलिए हाल ख.नं0 1619 व 1619/2324 को गै0म0 रास्ता को कलमजन किया जाकर वादी की खातेदारी मे दर्ज किया जावे व इन ख.नम्बरान का

धेकारी
लवर)

रकबा 14 एयर के स्थान पर 18 एयर दर्ज किया जावे? इस तनकी का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2020 प्रदर्श 07 के अनुसार साबिक ख0न0 934/0–14 का नया नं0 1074/0–14 बना है तथा नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2042 प्रदर्श 05 के अनुसार हाल ख0न0 1619 रकबा 01 एयर साबिक 1074 से बना है तथा हाल ख0न0 1619/2324/0.13 एयर भी साबिक ख0न0 1074मिन से बनना साबित होता है नकल जमाबन्दी सं0 2016 प्रदर्श 08 के अनुसार ख0न0 934/0–14 की किस्म गै0मु0चाह दर्ज रिकॉर्ड है जिसके अनुसार इस चाह के करीबन 50 व्यक्ति हिस्सेदार थे वादी का बुजुर्ग रिछपाल मालिक नही था। इस जमाबंदी के अुनसार समस्त 14 बिस्वा आराजी को वादी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। भू प्रबंध विभाग द्वारा विभाग के विधिक नियमों एंव प्रावधानों के तहत की दौराने भू प्रबंध संवत 2020 मे अंकन किया है जो सही है। इस लिए यह तनकी विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 02:– आया आराजी ख.नं. 1619 रकबा 01 एयर व 1619/2324 रकबा 13 एयर वाके ग्राम घीलोठ पर कब्जे के आधार पर डिक्री किया जाना सही नही है अतः दावा खारिज किया जावे। गै0मु0रास्ता की भूमि धारा 16में प्रतिबंधित है अतः खातेदारी नही दी जा सकती है दावा खारिज किया जावे? इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के अनुसार आराजी विवादित के बाबत जो अंकन संवत 2020 मे भू प्रबंध विभाग द्वारा किया गया जो सही है तथा भू प्रबंध संवत 2042 मे किया गया अंकन सही है आराजी विवादित गै0मु0रास्ता है,गै0मु0रास्ते की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे प्रतिबंधित है प्रतिबंधित भूमि पर कानूनन किसी को भी खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। पत्रावली मे प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर यह तनकी बाखुबी साबित होती है यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी तय की जाती है।

उरोक्त विवेचन के अनुसार वादी पर तनकी नं. 01 सिद्व करने का भार था वादी उक्त तनकी को सिद्व करने मे असफल रहा है। इसलिए वादी का वाद साबित नही होता है वाद दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः आदेश है कि:–

वाद वादी दुरूस्ती इन्द्राज एंव हु0ई0दवामी बाबत आराजी हाल ख0न0 1619/0.01, 1619/2324 रकबा 0.13 वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो ।

आज दिनांक 10.7.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा टंकित कराया जा कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

10/7/2023

मुकुल सिंह (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
44 / 2018	04.04.2018	10.7.2023

उनवान

1. नारायणसिंह पुत्र श्री मन्नु सिंह जाति राजपूत निवासी घीलोठ तह0 नीमराना।

—वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।

—: प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितीः—1 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा।

दिनांकः 10.7.2023

पर्चा डिक्री

वाद वादी दुरूस्ती इन्द्राज एंव हु0ई0दवामी बाबत आराजी हाल ख0न0 1619 / 0.01, 1619 / 2324 रकबा 0.13 वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना सावित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादी स्वय वहन करेगा। सुनाया गया।

10/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)